सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री शारदा सिंह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0) छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 01/2016 दिनांक 28.01.2016

श्री विनोद कुमार साहू
आर.ई.एस.कालोनी, वार्ड कमांक–09
भानुप्रतापपुर जिला– कांकेर (छ0ग0)
पिन नबंर– 494669

विरूद्ध

श्री एस. आर. बांधेय
जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो प्रतिअपीलार्थी
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,डंगनिया–रायपुर

–:: **आदेश** ::–

(दिनांक 23.02.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत दिनांक 27.01.2016 को प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 01/2016 दिनांक 28.01.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 17.12.2015 के माध्यम से आपके विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्न कर्मचारियों की पुनः आवेदित दिनांक एवं आपके कार्यालय को प्राप्त दिनांक सहित आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति चाही गई थी, जिनका नाम निम्नलिखित है–

(1) श्री संजय स्वामी पिल्ले, पिता स्व. रामचन्द्रन पिल्ले, (2) श्री अजय कुमार सोनी पिता स्व. भारत प्रसाद सोनी, (3) श्री राहुल ठाकरे पिता स्व. डी. एच. ठाकरे, (4) श्री राहुल त्रिपाठी पिता स्व. पंकज कुमार त्रिपाठी, (5) श्री टी. सिम्हाचलम पिता स्व. रामाराव।

उक्त वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मुझे उपलब्ध ना कराकर अन्य जानकारी उपलब्ध करायी गई है जिससे मै संतुष्ठ नही हूँ। क्योकि मैने उक्त कर्मचारियों की पुनः आवेदित दिनांक एवं आपके कार्यालय को प्राप्त दिनांक सहित आवेदन पत्र की छायाप्रति चाही थी। अतः मुझे उक्त जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए, सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ/04–05/दिनांक 03.02.2016 के द्वारा जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 23.02.2016** को सांय 4:00 बजे व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्रमांक जी–9 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू के द्वारा दी गई पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में

उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया था। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर एवं अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू उपस्थित हुए। तदपश्चात् प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 23.02.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0 रा0 वि0 हो0 कं0 मर्या0 रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री विनोद कुमार साहू द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निम्न कर्मचारियों (1) श्री संजय स्वामी पिल्ले, पिता स्व. रामचन्द्रन पिल्ले, (2) श्री अजय कुमार सोनी पिता स्व. भारत प्रसाद सोनी, (3) श्री राहुल ठाकरे पिता स्व. डी. एच. ठाकरे, (4) श्री राहुल त्रिपाठी पिता स्व. पंकज कुमार त्रिपाठी, (5) श्री टी. सिम्हाचलम पिता स्व. रामाराव की पुनः आवेदित दिनांक एवं कार्यालय को प्राप्त दिनांक सहित आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति चाही गई है।

उक्त वांछित जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) –छः छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 4064 दिनांक 23.12.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालयीन यू. ओ. नोट क्रमांक 64 दिनांक 19.01.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया कि ''आवेदक द्वारा वांछित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदकों की उक्त व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज की प्रति तृतीय पक्ष **(Third Party)** आवेदक श्री विनोद कुमार साहू को प्रदान करने के संबंध में आवेदको की सहमति/असहमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्ताशय के संदर्भ में संबंधित कर्मचारियों से सहमति/असहमति प्राप्त करने बाबत लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः उपरोक्त सहमति/असहमति पत्र प्राप्त नही होने के कारणवश आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। वांछित सहमति/असहमति पत्र प्राप्त होते ही वस्तुस्थिति से अवगत करा दी जावेगी। जिसे आवेदक श्री विनोद कुमार साहू को निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 175 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा अवगत कराया गया।

(5) निर्धारित प्रथम अपील सुनवाई तिथि 23.02.2016 को अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू एवं प्रतिअपीलार्थी श्री एस. आर. बांधेय, जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं. मर्या. तथा श्री पंकज सिंह परमार सहायक प्रबंधक (मा0सं0) होल्डिंग उपस्थित हुए। उक्त सुनवाई में दोनों के तर्क श्रवण किये गये। प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, इसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, बशर्ते वह अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू के द्वारा इस कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत पृथक–पृथक कर्मचारियों की आवेदन पत्रों की छायाप्रति चाही गई है, जो व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज की प्रति तृतीय पक्ष को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व संबंधित कर्मचारियों से सहमति/असहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि **''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता**

नहीं है।" साथ ही इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्तिगत सूचना के संबंध में जानकारी देने के लिए लोक प्राधिकारी बाध्य नही है, जब तक उसका संबंध लोक कियाकलाप या लोकहित से न हो या जिसमें लोकहित सन्निहित न हो।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू को प्रकरण में नियत समयावधि के भीतर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना परिलक्षित होता है, जो सही व उचित प्रतीत होता है। अतः पैरा कमांक 04 में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा की गई कार्यवाही नियम के अनुरूप सही है, जो स्वीकार है। उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू का तर्क कि उनके द्वारा वांछित जानकारी किस नियम के अनुरूप गोपनीय एवं तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी है, जो समझ से परे है। उन्होने पाचं उम्मीदवारों जिन्होने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आपके कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था उक्त आवेदनों की छायाप्रति चाही है। जिसे जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियम का हवाला देते हुए जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है, जबकि उन्हे उक्त जानकारी उपलब्ध कराया जाना था। अपीलार्थी के तर्क के संबंध में सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह परमार के द्वारा अपना मत रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत **धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नहीं है।"** उक्त नियम के अनुरूप पांचों कर्मचारियों से पत्र के माध्यम से सहमति/असहमति संबंधी संज्ञान लिया गया है। जिसके तारतम्य में तीन कर्मचारियों यथा श्री राहुल त्रिपाठी, श्री अजय कुमार सोनी एवं श्री संजय स्वामी पिल्ले का असहमति अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होने स्वयं की गोपनीय जानकारी किसी तृतीय पक्ष को प्रदान किये जाने में असमर्थता व्यक्त कि है। शेष दो कर्मचारी श्री राहुल ठाकरे एवं श्री टी. सिम्हाचलम को पुनः स्मरण पत्र भेजे गये है कि उक्त जानकारी के संबंध में अपनी सहमति/असहमति से अवगत इस कार्यालय को अतिशीघ्र करावे।

उक्त सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा कर्मचारियों से प्राप्त असहमति अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। इसी अनुक्रम में उनके द्वारा धारा 8(1)–(ञ) एवं 11(1) के तहत् तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी संबंधित पक्ष की सहमति के बिना देने की बाध्यता नहीं है, एंव तृतीय पक्ष से संबंधित गोपनीय सूचना संबंधी नियम के पुस्तक का अवलोकन करने बाबत् अनुरोध किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी को सूचना का अधिकार विधि (सूचना का अधिकार अधिनियम का अद्यतन, विश्लेषणात्मक एंव बिन्दुवार विवेचन) प्रथम संस्करण पुनर्मुद्रित वर्ष 2015, श्री आर. पी. कटारिया के द्वारा लेखांकन पुस्तक का अवलोकन कराया गया, जिससे वह संतुष्ठ हुए।

अतएव अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा जानबुझ कर उपलब्ध नही करायी गई है, निराधार एवं तथ्यहीन है। जहॉ तक अपील का प्रश्न है उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी श्री विनोद कुमार साहू का प्रथम अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है। अतः अपील प्रकरण क्रमांक 01/2016 दिनांक 28.01.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02 / अपील प्रकरण –1 / 2016 / 15 रायपुर, दिनांक 23/02/2016

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंधक (मा.सं.)–छः छ. रा. वि. हो. कं. मर्या. रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3 श्री विनोद कुमार साहू आर. ई. एस. कालोनी, वार्ड कमांक–09 भानुप्रतापपुर, जिला– कांकेर (छ0ग0) पिन नबंर– 494669 को सूचनार्थ प्रेषित।

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य,
सूचना आयोग, पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,प्रथम तल,
शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235, 2444151

अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700